मध्य प्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2013–14

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
2013–14

विभाग का नाम	–	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्री	–	सुश्री कुसुमसिंह महदेले

राज्य मंत्रालय

अपर मुख्य सचिव	–	श्री राकेश अग्रवाल
उप सचिव	–	श्रीमती राजकुमारी खन्ना
		श्रीमती कुसुम ठाकुर
अवर सचिव	–	श्री पुरूषोत्तम शर्मा
		श्री श्रीदास

विभागाध्यक्ष

आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प	–	श्रीमती वीरा राणा
आयुक्त, रेशम संचालनालय	–	श्री एस. डी. पटैरिया

प्रबन्ध संचालक

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	–	श्रीमती सुधा चौधरी
हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	–	श्रीमती वीरा राणा
म.प्र. माटी कला बोर्ड	–	श्री सी.एम.शर्मा
		(मुख्य कार्यपालन अधिकारी)

भाग – एक
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की संरचना

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज में गांव के कुटीर, लघु और कृषि उद्योग को शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने स्थानीय संगठनों को योग्य एवं कुशल बनाने और पारम्परिक संसाधनों के अधिकाधिक विवेकपूर्ण उपयोग की भी बात कही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन ने मई 1990 में ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की है। तब से विभाग निरंतर ग्रामोद्योगों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अग्रसर है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का नेतृत्व कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री द्वारा किया जाता है।

प्रशासनिक स्तर पर प्रमुख सचिव, दो उप सचिव, दो अवर सचिव और दो अनुभाग अधिकारी की सेवाऍं कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को उपलब्ध हैं।

विभागाध्यक्ष

1. आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. आयुक्त, रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

विकास कार्यो की समुचित व्यवस्था के लिये विभाग के अंतर्गत तीन सार्वजनिक उपक्रम और दो राज्य स्तरीय सहकारी संघ कार्यरत हैं।

सार्वजनिक उपक्रम

1. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल
2. संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल
3. मध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड, भोपाल

राज्य स्तरीय सहकारी संघ

1. मध्यप्रदेश राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित जबलपुर (परिसमापन अन्तर्गत)
2. मध्यप्रदेश स्टेट सेरीकल्चर डेव्हलपमेंट एण्ड ट्रेडिंग को–आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल।

हाथकरघा संचालनालय की विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

आयुक्त / संचालक हाथकरघा

अतिरिक्त संचालक ग्रामोद्योग

संयुक्त संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा

संयुक्त संचालक (तकनीकी) ग्रामोद्योग हाथकरघा

उप संचालक ग्रामोद्योग

उप संचालक ग्रामोद्योग

उप संचालक ग्रामोद्योग

उप संचालक ग्रामोद्योग

जोनल कार्यालय	सहायक संचालक जिला हाथकरघा कार्यालय	जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र	प्रवर्तन कार्यालय	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय		
ग्वालियर	भोपाल ग्वालियर जबलपुर	चंदेरी	मुख्य प्रवर्तन कार्यालय भोपाल	भिण्ड	नीमच	सीधी
जबलपुर	सीहोर	महेश्वर	उप प्रवर्तन कार्यालय बुरहानपुर	मुरैना	रतलाम	डिण्डोरी
इंदौर भोपाल	सारंगपुर उज्जैन मंदसौर झाबुआ सौंसर सतना वारासिवनी निवाड़ी बुरहानपुर शिवपुरी	इंदौर		विदिशा रायसेन खण्डवा बैतूल होशंगाबाद सिवनी रीवा शाजापुर गुना आगर(मालवा)	शहडोल सागर नरसिंहपुर मण्डला बड़वानी धार देवास अनूपपुर अलिराजपुर	दमोह श्योपुर हरदा पन्ना कटनी उमरिया छतरपुर दतिया सिगंरौली

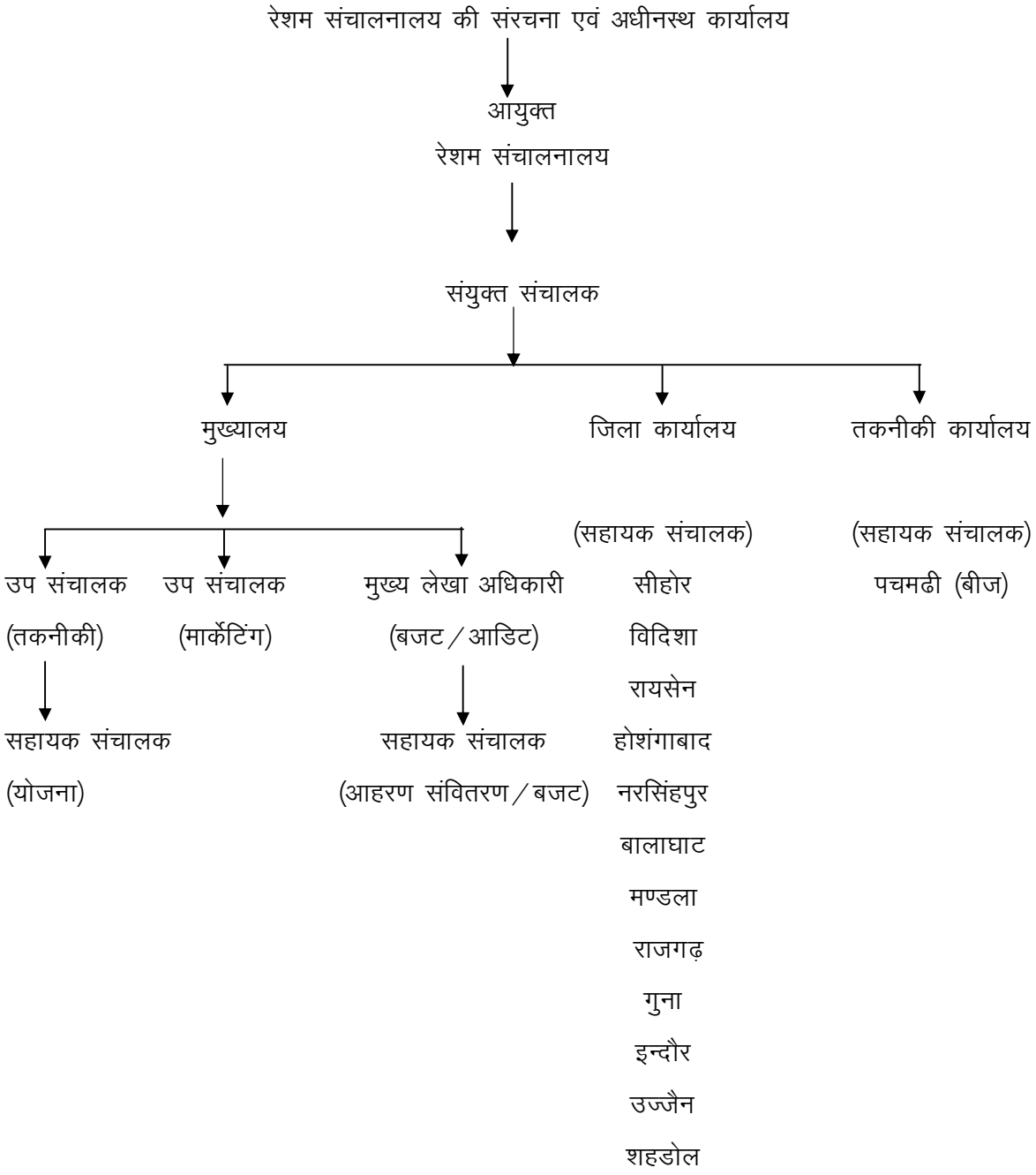

रेशम संचालनालय की संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

- आयुक्त
  रेशम संचालनालय
  - संयुक्त संचालक
    - मुख्यालय
      - उप संचालक (तकनीकी)
        - सहायक संचालक (योजना)
      - उप संचालक (मार्केटिंग)
      - मुख्य लेखा अधिकारी (बजट/आडिट)
        - सहायक संचालक (आहरण संवितरण/बजट)
    - जिला कार्यालय
      (सहायक संचालक)
      - सीहोर
      - विदिशा
      - रायसेन
      - होशंगाबाद
      - नरसिंहपुर
      - बालाघाट
      - मण्डला
      - राजगढ़
      - गुना
      - इन्दौर
      - उज्जैन
      - शहडोल
    - तकनीकी कार्यालय
      (सहायक संचालक)
      - पचमढी (बीज)

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप

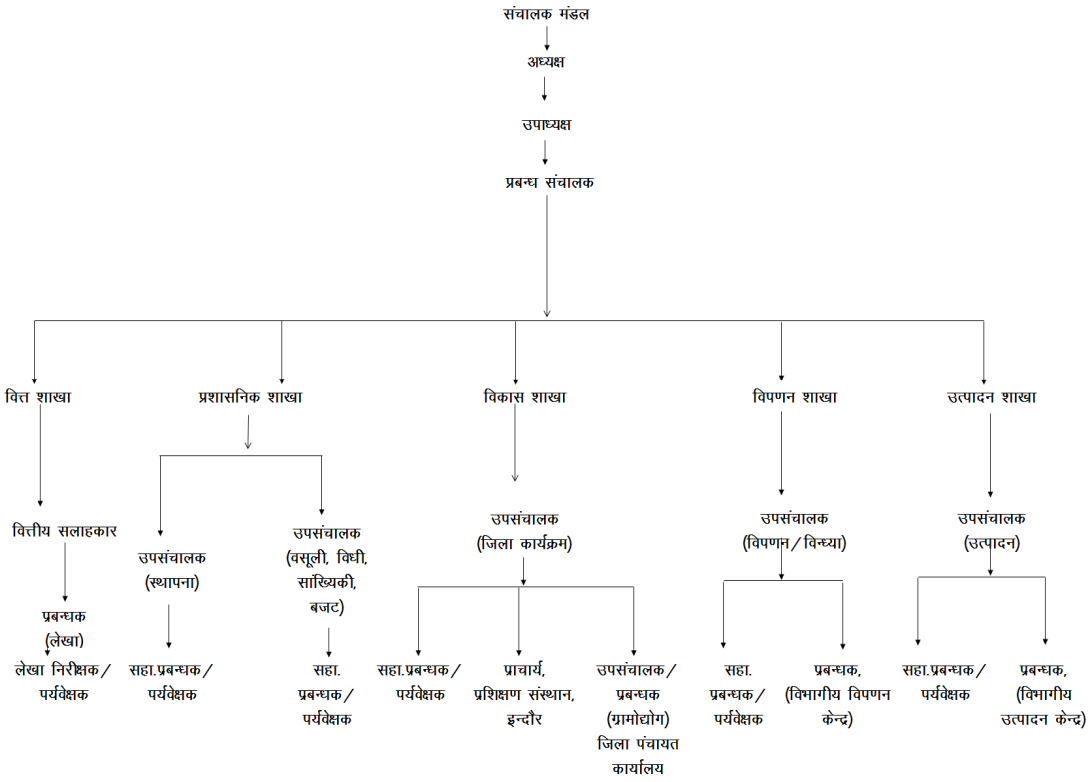

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम की संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

संचालक मण्डल
↓
अध्यक्ष
↓
प्रबंध संचालक
↓

मुख्यालय

- महाप्रबंधक (प्रशासन)
- महाप्रबंधक (हस्तशिल्प
- महाप्रबंधक (विपणन)
- महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
- महाप्रबंधक (हाथकरघा)

महिलाओं के लिए–
सामान्य सुविधा केन्द्र
(टेलरिंग एवं एम्ब्रायडरी)
शहरी
हाट–भोपाल, ग्वालियर,इन्दौर

विकास केन्द्र

सामान्य सुविधा केन्द्र

- रायसेन (सांची)
- होशंगाबाद
- बैतूल
- उज्जैन (भैरूगढ)
- सीधी
- छिन्दवाड़ा (+सौसर)
- मण्डला
- शहडोल
- (ग्राम छतवई)
- भोपाल

विकास सह संग्रहण केन्द्र

- अलीराजपुर(जोबट)
- धार(बाग व धामनोद)
- नीमच (जावद)
- खरगोन (महेश्वर)
- खण्डवा
- टीकमगढ़
- वारासिवनी
- देवास
- विदिशा (सांची)
- छतरपुर(खजुराहो)
- राजगढ़(सारंगपुर)
- गुना(राघोगढ़)
- अशोकनगर(चंदेरी)
- मंदसौर
- रीवा
- सीहोर

विपणन सह विस्तार केन्द्र

- इन्दौर
- जबलपुर
- ग्वालियर
- भोपाल
- (गौहरमहल)

एम्पोरियम

मृगनयनी एम्पोरियम

प्रदेश में

- भोपाल(4)
- ग्वालियर(2)
- पचमढ़ी
- जबलपुर
- खजुराहो
- इन्दौर (2)
- डोडी

प्रदेश के बाहर

- चेन्नई
- बैंगलोर
- मुम्बई
- जयपुर
- कालीकट
- पणजी
- कोलकाता
- नोएडा
- पुणे
- अहमदाबाद

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप

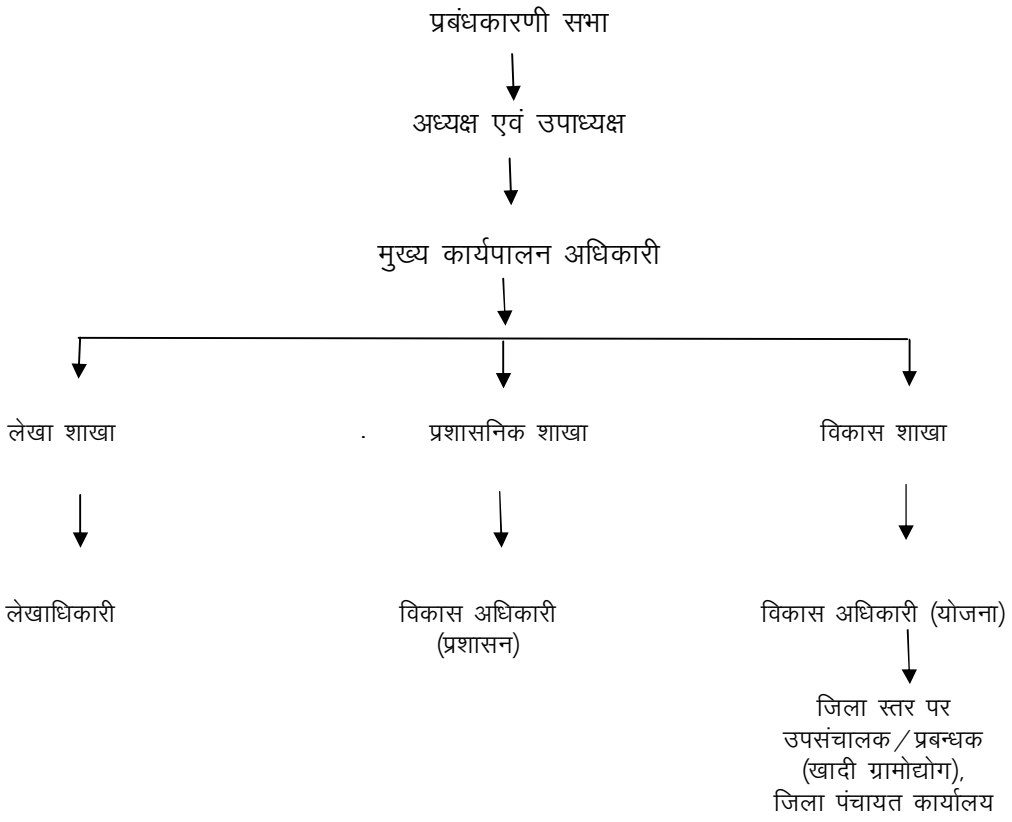

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के दायित्व

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की भूमिका मध्य प्रदेश के परंपरागत ग्रामोद्योगों के संवर्धन, समग्र विकास, रोजगार बढ़ाने, ग्रामोत्पादों की गुणवत्ता का विकास, कौशल उन्नयन, ग्रामोत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाना एवं उनके विपणन को प्रोत्साहित करने से है। विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैं :–

- ग्रामोद्योगों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामोद्योग विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए बुनियादी एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत प्रोद्योगिकी, उच्चगुणवत्ता आदि के विकास के लिए सहयोग देना।
- क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए ग्रामोद्योग के विकास में निजी क्षेत्र, स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- कृषि उपज आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामोद्योग के उत्पादों के बारे में प्रदेश के भीतर एवं बाहर की मांग का आकलन कर, विपणन तंत्र को चिन्हित कर विकसित करना, गुणवत्ता के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन हेतु बेकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराना तथा उत्पादन के विपणन को प्रोत्साहित करना।

हाथकरघा संचालनालय के दायित्व

- प्राचीनतम एवं उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परम्परा को समृद्ध बनाना ।
- हाथकरघा उद्योग में आधुनिक औद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना।
- हाथकरघा बुनकरों को सत्त रोजगार उपलब्ध कराना तथा नये लोगों को इस उद्योग से संबद्ध कर बेरोजगारी निवारण का प्रयास करना।
- बुनकरों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के प्रयास करना।
- प्रदेश में बुनकर व अन्य कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना।

रेशम संचालनालय के दायित्व

- रेशम उद्योग के जनोन्मुखी एवं व्यावसायिक रूप से संचालन को प्रोत्साहित करना।
- बाजारोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ककून तथा रेशम धागे में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार लाना व कौशल उन्नयन एवं तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना।
- रेशम उद्योग के प्रबंधन में हितग्राहियों एवं स्टेकहोल्डर्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- मूल्य अभिवृद्धि की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर विपणन को बढ़ावा देना।
- प्रदेश के वनों का सवंहनीय उपयोग कर टसर उत्पादन का विकास करना।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के दायित्व

- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना, विकास एवं सवंर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये सयंत्र, मशीनें और उपकरणों का प्रदाय एवं कच्चे माल की आपूर्ति करना।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के दायित्व

- प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प एव हाथकरघा संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन कर रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- विकासात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों के संचालन व अधोसंरचना विकास द्वारा ऐसा वातावरण बनाना जिसमें परम्परागत शिल्पी बुनकर परिवारों के युवा पैतृक व्यवसाय में ही बने रहे।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती मांग के अनुरूप हस्तशिल्प हाथकरघा सेक्टर के उत्पादों की गुणवत्ता व डिजाइन्स में सुधार लाकर बाजार की प्रतिस्पर्धा में बिक्री योग्य बनाना।
- तकनीकी उन्नयन द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता बढ़ाकर शिल्पियों व बुनकरों की आमदनी में वृद्धि करना।
- हाथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए सहायता व मार्केट लिंकेज़।

शिल्पियों और बुनकरों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा परम्परागत शिल्प पॉकेट्स और हाथकरघा सघन क्षेत्रों में 29 विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। शिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था के लिए 22 एम्पोरियम संचालित किए जा रहे हैं जिसमें से 10 प्रदेश के बाहर देश के प्रमुख नगरों में हैं।

भोपाल,ग्वालियर,एवं इन्दौर में स्थायी हाट की स्थापना की गई है ।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड के दायित्व

- माटीकला कार्य उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना जैसे बिजली, पानी पहुॅच मार्ग की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण एवं सुझाव देना ।
- तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के संबंध में प्रभावी योजना बनाना एवं धनराशि की व्यवस्था करना।
- केन्द्र सरकार राज्य शासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र से माटी का कार्य करने वालों को सुविधाएं एवं सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय की व्यवस्था करना।
- माटी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने का सुझाव देना।

भाग – दो

बजट विहंगावलोकन

(केन्द्र शासन की योजनाओं को सम्मिलित कर)

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कुल बजट

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	विभागाध्यक्ष / निगम / बोर्ड	बजट प्रावधान वर्ष 2013–14	बजट आबंटन वर्ष 2013–14	व्यय वर्ष 2013–14
1.	हाथकरघा संचालनालय	1163.86	1163.86	1141.22
2.	रेशम संचालनालय	10848.01	10848.01	10161.25
3.	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	2727.52	2163.69	2366.60
4.	हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	1400.00	1374.29	1313.30
5.	माटीकलां बोर्ड	310.00	310.00	303.41
	योग	16449.39	15859.85	15285.78

हाथकरघा संचालनालय

केन्द्र शासन की योजनाओं को सम्मिलित कर

क0	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2013–14	बजट आबंटन वर्ष 2013–14	व्यय वर्ष 2013–14
राज्य स्तरीय				
मांग संख्या–56				
1.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	86.44	86.44	85.64
2.	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	1.00	1.00	1.00
3.	स्पेशल प्रोजेक्ट	5.00	5.00	5.00
4.	उद्यमी/स्व–सहायता समूह /अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	30.00	30.00	30.00
5.	एकीकृत हाथकरघा विकास योजना राज्ययांश केन्द्रांश	 2.25 8.55	 2.25 8.55	 2.25 8.55
6.	आई.आई यू.एस. परियोजना, चन्देरी	1.00	1.00	-
7.	अनुसंधान एंव विकास	1.00	1.00	1.00
8.	कबीर बुनकर पुरूस्कार योजना	2.40	2.40	2.40
9.	सूचना प्रौद्योगिकी	2.80	2.80	2.65
10.	ग्रामोद्योग प्लस	2.50	2.50	2.50
11.	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण	15.00	15.00	15.00
12	हाथकरघा बुनकरों को वित्तीय पैकेज	1.00	1.00	1.00
	योग	**158.94**	**158.94**	**156.99**
मांग संख्या–41				
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	25.00	25.00	25.00
	योग	**25.00**	**25.00**	**25.00**
मांग संख्या–64				
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	20.00	20.00	19.75
	योग	20.00	20.00	19.75
	महायोग	**203.94**	**203.94**	**201.74**

जिला स्तरीय				
मांग संख्या–74				
1	हाथकरघा विकास योजना	65.01	65.01	63.27
2	कुटीर उद्योग विकास योजना	448.65	448.65	446.47
3	वेलफेयर पैकेज योजना	16.83	16.83	11.95
	योग	**530.49**	**530.49**	**521.69**

मांग संख्या 52				
1	हाथकरघा विकास योजना	24.01	24.01	20.40
2	कुटीर उद्योग विकास योजना	210.06	210.06	207.67
3	वेलफेयर पैकेज योजना	2.49	2.49	1.75
	योग	**236.56**	**236.56**	**229.82**
मांग संख्या–15				
1	हाथकरघा विकास योजना	19.98	19.98	18.10
2	कुटीर उद्योग विकास योजना	169.55	169.55	167.45
3	वेलफेयर पैकेज योजना	3.34	3.34	2.42
	योग	**192.87**	**192.87**	**187.97**
	हाथकरघा संचालनालय का महायोग	**1163.86**	**1163.86**	**1141.22**

रेशम संचालनालय

राज्य आयोजना

मांग संख्या– 56 (राशि रूपये लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2013–14	बजट आवंटन वर्ष 2013–14	व्यय वर्ष 2013–14
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	316.00	316.00	315.79
2	रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाऐं व अन्य निर्माण कार्य	793.28	793.28	750.09
3	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	2199.03	2199.03	2432.89
4	सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	20.00	20.00	19.88
5	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	765.00	765.00	609.74
6	स्पेशल प्रोजेक्ट	1.00	1.00	–
7	इरी रेशम विकास एवं विस्तार	34.05	34.05	28.45
8	उद्यमियों/स्वसहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग	176.60	176.60	176.60
9	रेशम उद्योग का विकास कार्य	1639.23	1639.23	1448.80
10	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	818.14	818.14	684.74
11	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	50.00	50.00	50.00
12	रेशम मुख्यालय का रिनोवेशन	00.01	00.01	–
	योग	6812.34	6812.34	6516.98

मांग संख्या – 74

1	मलबरी स्वावलंबन योजना	146.94	146.94	145.33

मांग संख्या – 41

1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	15.00	15.00	15.00
2	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	962.50	962.50	901.01
3	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	541.40	541.40	540.90
4	उद्यमियों/स्व सहायता समूह एवं अशासकीय संस्था को सहयोग	73.40	73.40	73.40
5	रेशम उद्योग का विकास कार्य	476.19	476.19	449.64
	योग	2068.49	2068.49	1979.95

मांग संख्या – 52

1	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	249.60	249.60	227.20

मांग संख्या – 64

क्र.	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2013–14	बजट आवंटन वर्ष 2013–14	व्यय वर्ष 2013–14
1	रेशम उद्योग का विकास कार्य	467.23	467.23	431.29
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य (पूँजी परिव्यय)	294.00	294.00	171.92
3	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	330.00	330.00	304.98
4	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	375.46	375.46	319.65
5	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	13.95	13.95	13.95
6	उद्यमियों/स्व सहा.समूह एवं अशा. सं. को सहयोग	90.00	90.00	50.00
	योग	1570.64	1570.64	1291.79
	महायोग	10848.01	10848.01	10161.25

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

मांग संख्या–56 (राशि रूपये लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2013–14	बजट आवंटन वर्ष 2013–14	व्यय वर्ष 2013–14
1	स्थापना अनुदान आयोजना (प्लान)	420.00	420.00	385.25
2	अमला प्रशिक्षण	10.00	10.00	10.62
3	खादी उत्पादन पर रिबेट	40.00	40.00	25.28
4	कत्तिनों को सहायता	15.00	15.00	8.48
5	प्रचार–प्रसार	100.00	100.00	102.37
6	अधोसंरचना विकास	100.00	100.00	100.00
7	विपणन सहायता	85.00	85.00	85.00
8	कच्चा माल क्रय सहायता	280.00	280.00	280.00
9	परिवार मूलक इकाई स्थापना	369.56	98.00	93.10
10	एकीकृत कलस्टर विकास	50.00	50.00	50.00
11	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	13.00	13.00	10.09
12	उद्यमियों एवं स्व–सहायता समूहों को सहायता	16.00	8.00	8.00
13	अनुसंधान एवं विकास	50.00	50.00	50.00
14	विन्ध्यावैली	0.06	0.00	0.00
15	स्पेशल प्रौजेक्ट	20.00	0.00	0.00
16	कारीगर प्रशिक्षण	31.90	31.90	31.90
17	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	25.00	25.00	17.16
18	मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना	467.00	467.00	738.56
योग		**2092.52**	**1792.90**	**1995.81**

मांग संख्या–41 (राशि लाख रू.में)

क्रं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2013–14	बजट आवंटन वर्ष 2013–14	व्यय वर्ष 2013–14
1	खादी उत्पादन पर रिबेट	0.00	0.00	0.00
2	कत्तिन सहायता	0.00	0.00	0.00
3	परिवार मूलक इकाई स्थापना	167.16	30.00	30.00
4	कारीगरों को प्रशिक्षण	17.47	17.47	17.47
5	कच्चा माल सहायता	0.00	0.00	0.00
6	विपणन सहायता	0.00	0.00	0.00
7.	मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना	88.45	88.45	88.45
योग		**273.08**	**135.92**	**135.92**

मांग संख्या–64

1	प्रचार–प्रसार	0.00	0.00	0.00
2	विपणन सहायता	0.00	0.00	0.00
3	कच्चा माल सहायता	0.00	0.00	0.00
4	परिवार मूलक इकाई स्थापना	157.05	30.00	30.00
5	कारीगरों का प्रशिक्षण	22.79	22.79	22.79
6.	मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना	182.08	182.08	182.08
7	कत्तिनों को सहायता	0.00	0.00	0.00
योग		**361.92**	**234.87**	**234.87**
महायोग		**2727.52**	**2163.69**	**2366.60**
खादी और ग्रामोद्योग आयोग योजना				
7	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2539.87	2539.87	2454.00

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

(राशि रूपये लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	बजट आबंटन	व्यय
	मांग संख्या–56	वर्ष 2012–14	वर्ष 2013–14	वर्ष 2013–14
1	विकास सह संग्रहण केन्द्रों का संचालन	410.00	410.00	410.00
2	प्रदर्शनी एवं प्रचार–प्रसार	80.00	80.00	80.00
3	हस्तशिल्पों की बिक्री पर अवहार	30.00	30.00	30.00
4	शिल्पी / बुनकर कल्याण योजना	30.00	30.00	15.01
5	अनुसंधान एवं विकास	30.00	30.00	30.00
6	उद्यमियों / स्वसहायता समूहों / अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	50.00	49.76	49.76
7	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	225.00	225.00	225.00
8	निगम मुख्यालय को मॉनिटरिंग हेतु अनुदान	200.00	200.00	200.00
9	निगम भवनों का संधारण	75.00	75.00	75.00
10	स्पेशल प्रोजेक्ट	40.00	39.55	39.55
11	प्रमोशन अभिलेखीकरण	60.00	60.00	60.00
12	अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	25.00	–	–
13	राज्य स्तरीय पुरस्कार	6.00	6.00	–
14	सूचना एवं प्रौद्यागिकी विकास	13.98	13.98	13.98
15	कालीन पार्क	0.01	.–	–
16	कौशल विकास	0.01	–	–

	मांग संख्या–64			
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	55.00	55.00	55.00

1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	70.00	70.00	70.00
	कुल योग–	1400.00	1374.29	1353.30

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

क0	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2013–14	बजट आबंटन वर्ष 2013–14	व्यय वर्ष 2013–14
मांग संख्या–56 सामान्य आयोजना				
1	श्री यादे माटीकला योजना	310.00	310.00	296.19
2	माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण	6.39	6.39	6.39
3	माटीकला उद्यमियों को प्रचार प्रसार योजना	5.00	5.00	0.83
	योगः–	**321.40**	**321.40**	**303.41**

Hkkx rhu

हाथकरघा संचालनालय

foHkkxh; ;kstuk,a
jkT; rFkk dsUnz izofrZr ;kstuk,a rhu o"kZ dh rqyukRed foRrh; miyfCèk;kW

अ– राज्य स्तरीय योजनाएं (राशि रूपये लाखों में)

मांग संख्या–56							
क्र0	योजना	आबंटन वर्ष 2011–12	व्यय वर्ष 2011–12	आबंटन वर्ष 2012–13	व्यय वर्ष 2012–13	आबंटन वर्ष 2013–14	व्यय वर्ष 2013–14
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	26.00	26.00	55.68	55.368	86.44	85.64
2	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
3	स्पेशल प्रोजेक्ट	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00
4	उद्यमी/स्व–सहायता समूह /अषासकीय संस्थाओं को सहयोग	15.00	15.00	25.00	25.00	30.00	30.00
5	एकीकृत हाथकरघा विकास योजना	205.00	205.00	397.45	390.192	10.80	10.80
6	आई.आई यू .एस.परियोजना, चन्देरी	5.00	5.00	–	–	1.00	–
7	अनुसंधान एंव विकास	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
8	कबीर बुनकर पुरूस्कार योजना	2.00	2.00	2.25	2.25	2.40	2.40
9	सूचना प्रौद्योगिकी	2.63	2.63	2.63	2.59	2.80	2.65
10	ग्रामोद्योग प्लस योजना	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	2.50
11	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रषिक्षण	–	–	20.00	19.95	15.00	15.00
12	हाथकरघा बुनकरों को वित्तीय पैंकज	–	–	50.00	50.00	1.00	1.00
	योग	266.63	266.63	574.51	566.85	158.94	158.94
मांग संख्या–41							
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	20.69	20.54	66.48	66.47	25.00	25.00
	योग	20.69	20.54	66.48	66.47	25.00	25.00
मांग संख्या–64							
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	–	–	3.65	3.65	20.00	19.75
	योग	–	–	3.65	3.65	20.00	19.75
	महायोग	287.32	287.17	640.99	636.97	203.94	201.74

केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :

मांग संख्या–56								
क्रमांक	योजना		आबंटन वर्ष 2011–12	व्यय वर्ष 2011–12	आबंटन वर्ष 2012–13	व्यय वर्ष 2012–13	आबंटन वर्ष 2013–14	व्यय वर्ष 2013–14
1	एकीकृत हाथकरघा विकास योजना	राज्य केन्द्र	85.00 120.00	85.00 120.00	397.45 523.74	397.45 523.74	2.25 8.55	2.25 8.55
2	आई.आई यू एस. चन्देरी परियोजना	राज्य केन्द्र	5.00 –	5.00 –	5.00 –	5.00 –	1.00 –	– –
	योग	राज्य केन्द्र	85.00 125.00	85.00 125.00	402.45 523.74	402.45 523.74	11.80	10.80

जिला स्तरीय योजनाएँ

(राशि रूपये लाखों में)

मॉग संख्या– 74							
क्र0	योजना	आबंटन वर्ष 2011–12	व्यय वर्ष 2011–12	आबंटन वर्ष 2012–13	व्यय वर्ष 2012–13	आबंटन वर्ष 2013–14	व्यय वर्ष 2013–14
1.	हाथकरघा विकास योजना	90.93	70.93	50.76	50.76	65.01	63.27
2	कुटीर उद्योग विकास योजना	357.99	357.85	323.62	323.62	448.65	446.47
3	वेलफेयर पैकेज योजना	16.44	15.53	13.88	13.88	16.83	11.95
	योग :–	445.36	444.31	388.26	388.26	530.49	521.69
मॉग संख्या– 52							
1	हाथकरघा विकास योजना	11.31	11.15	3.80	3.80	24.01	20.46
2	कुटीर उद्योग	78.72	78.71	87.45	87.45	210.60	207.67
3	वेलफेयर पैकेज योजना	2.49	0.37	0.67	0.67	2.49	1.75
	योग :–	92.52	90.23	91.92	91.92	237.10	229.82
मॉग संख्या– 15							
1	हाथकरघा विकास योजना	13.15	12.31	8.42	8.42	19.98	18.10
2	कुटीर उद्योग विकास योजना	78.59	75.26	79.11	79.11	169.55	167.45
3	वेलफेयर पैकेज योजना	1.72	1.72	2.10	2.10	3.34	2.42
	योग :–	93.43	89.29	89.63	89.63	192.87	187.97
	महायोग	631.31	623.83	569.81	569.81	960.46	939.48

jkT; rFkk dsUnz izofrZr ;kstuk,a rhu o"kZ dh rqyukRed **HkkSfrd miyfC/k;ka**

jkT; Lrjh; ;kstuk,a

d z-	;kstuk dk uke	o"kZ 2011&12		o"kZ 2012&13		o"kZ 2013&14	
		y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
	ekax la[;k&56						
1	,dh`r DyLVj fodkl dk;Zdze	04 bdkbZ	06 bdkbZ	18 bdkbZ	18 bdkbZ	72 fgr-	560 fgr-
2	izeks'ku ,oa vfHkys[khdj.k	04 bdkbZ	04 bdkbZ	02 bdkbZ	02 bdkbZ	20 fgr	20 fgr-
3	Lis'ky izkstsDV	01izkstsDV	02 izkstsDV	2 izkstsDV	2 izkstsDV	20 fgr-	20 fgr-
4	उद्यमी / स्व–सहासमूह / अषासकीय संस्थाओं को सहयोग	03 bdkbZ	09 bdkbZ	08 bdkbZ	08 bdkbZ	85 fgr-	85 fgr-
5	ग्रामोद्योग प्लस	40 fgr-	40 fgr-	80 fgr-	50 fgr-	50 fgr-	50-fgr-
6	अनुसंधान एंव विकास	02 bdkbZ	03 bdkbZ	02 bdkbZ	02 bdkbZ	1DyLVj	1DyLVj
7	कबीर बुनकर पुरूस्कार योजना	03	03	03	03	03cqu	03cqu

		cqudj	cqudj	cqudj	cqudj	dj	dj
8	सूचना प्रौद्योगिकी	dEi;wVj lkexzh	dEi;wVj lkexzh	dEi;wVj lkexzh	dEi;wVj lkexzh	dEi;wVj lkexzh	dEi;wVj lkexzh
9	एकीकृत विकास योजना	&	&	&	&	40 fgr	40 fgr-
10	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रषिक्षण	&	&	30 cqudj	44 cqudj	250 fgr-	280 fgr-
11	हाथकरघा बुनकरों को वित्तीय पैंकज (lfefr la[;k)	&	&	26 lfefr;ka	26lfefr;ka 210O;fDrxr cqudj	115 lfefr;ka	29lfefr;k 68O;fDrxr cqudj
1	आई.आई.यू.एस. चन्देरी	&	&	&	&	01 izkstsDV	&
	योग						
	मांग संख्या 64						
1	,dhd`r DyLVj fodkl dk;Zdze	&	&	04	200	40	40
	ekax la[;k 41						
1	,dhd`r DyLVj fodkl dk;Zdze	8 bdkbZ	15 bdkbZ	115	200	115	149

dsUnz izfofrZr ;kstuk,a

	ekax la[;k&56						
1	,dhd`r gkFkdj?kk fodkl dk;Zdze	2 la?k 1 fuxe 30 lfefr;ka	2 la?k 1 fuxe 85 lfefr;ka	2506	100	40	40
2	vkbZ-vkbZ-;w-,l-panjh ifj;kstuk	1 ifj- ;ks-	1 ifj-;ks-	1 ifj ;ks-	&	&	&

ftyk Lrjh; ;kstuk vUrxZr % HkkSfrd miyfC/k;ka

dz-	**;kstuk dk uke**	**o"kZ 2011&12**		**o"kZ 2012&13**		**o"kZ 2013&14**	
		y{;	**y{;**	**y{;**	**miyfC/k**	**y{;**	**miyfC/k**
1	gkFkdj?kk fodkl ;kstuk	2053 cqudj	2053 cqudj	4650 fgrxzkgh	4621 fgr-	2367 fgr-	2212 fgr-
2	dqVhj m|ksx fodkl ;kstuk	5140 fgrxzkgh	5140 fgrxzkgh	1221 cqudj	1258 cqudj	8260 fgrxzkgh	8210 fgrxzkgh

3	osyQs;j iSdst ;kstuk	18000 cqudj	18000 cqudj	13425 fgrxzkgh	15720 fgrxzkgh	15000 fgr-	15030 fgr-

संचालित योजनाएं

¼v½ ftyk Lrjh; ;kstuk,a

1& gkFkdj?kk m|ksx fodkl ;kstuk ¼gkFkdj?kk {ks= ds fy,½

gkFkdj?kk {ks= esa cqudj lgdkjh lfefr;ksa] Lo&lgk;rk lewgksa] m|fe;ksa] O;fDrxr cqudjksa ,oa v'kkldh; laLFkkvksa ds cqudjksa@f'kfYi;ksa dks vkRefuHkZj cukuk] xzkeks|ksx mRiknksa dks cktkj ;ksX; cukus gsrq rduhdh] foi.ku ,oa dk;Z'khy iwWth gsrq lgk;rk iznku djukA cqudj lgdkjh lfefr;ksa] Lolgk;rk lewgksa] m|fe;ksa] O;fDrxr cqudjksa ,oa v'kkldh; laLFkk,a tks dk;Z'khy gksdj vius lnL;ksa dks jkstxkj iznku dj jgh gSa] ;kstuk varxZr lgk;rk ds fy;s ik= gksaxh A

2– कुटीर उद्योग विकास (औद्योगिक क्षेत्र के लिए)

कुटीर उद्योग से तात्पर्य नाबार्ड द्वारा घोषित 31 ग्रुप में शामिल उद्योग से है । इस योजनान्तर्गत कुटीर उद्योग हेतु प्लांट एवं मशीनरी में अनुदान की सीमा सामान्य वर्ग हेतु 33 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 50 प्रतिशत है। शेष राशि संस्था/व्यक्तिगत हितग्राही /समूह द्वारा स्वंय के स्त्रोत से या बैक से ऋण के रूप में लेना होगी । कार्यशील पूंजी हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत राशि की एक तिहाई राशि अनुदान के रूप में मार्जिन मनी परियोजना की स्थिति में बैक/वित्तीय संस्थान का सहमति पत्र प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि स्वीकृत की जावेगी ।

3& cqudj LokLFk chek ;kstuk %

बुनकर समुदाय को सर्वोत्तम स्वास्थ सुविधाऍ उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय रूप से सक्षम बनाना है। योजना में बुनकर, पत्नि एवं दो बच्चों को भी शामिल किया गया है बीमित बुनकर, पत्नि एवं दो बच्चों को पूर्व/विद्यमान बीमारियों का इलाज ओ. पी. डी. अथवा vkbZ-lh-vkbZ-lh-vkbZ लोम्बार्ड के सूचीबद्ध नर्सिंग होम्स/अस्पतालों में अधिकतम राशि रू. 15,000/– तक प्रति परिवार इलाज के लिये vkbZ-lh-vkbZ-lh-vkbZ लोम्बार्ड द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का प्रावधान है । योजना में वार्षिक प्रीमियम रूपये 939.76 है। जिसमें देय प्रीमियम में केन्द्र सरकार का हिस्सा रूपये 769.36, राज्य षासन का हिस्सा राषि रूपये 120.40 एवं बुनकर का अंष राषि रूपये 50.00 है । ;g ;kstuk Hkkjr 'kklu ls cqudj LokLF; ;kstuk ds uke ls o"kZ 2005&06 ls lapkfyr gS A orZeku esa ;g ;kstuk 31-3-2014 rd ykxw gS A ftlesa dsoy iwoZ chfer fgrxzkfg;ksa dk uouhdj.k fd;k tk jgk gS A

bl ;kstuk ds LFkku ij Hkkjr ljkklu }kjk uohu LokLF; chek ;kstuk ykxw fd;k tkuk izLrkfor fd;k x;k gS A ;kstuk esa jkT;ksa dh ¼25 izfr'kr½ jkf'k dh lgefr lalwfpr dh xbz gS A

(ब) राज्य स्तरीय योजनाएँ

1– एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाने, वर्तमान क्लस्टर को सुदृढ़ करने, क्लस्टरों को वित्तीय समर्थन बढ़ाने, डायग्नोस्टिक स्टडी, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट डिजाइन, बाजार लिंकेजेस, सलाहकारों की सेवाएं लेने एवं कमियां को चिन्हित करने हेत अध्ययन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमियों/अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु वर्कशाप अध्ययन भ्रमण के आयोजन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क नाली पेयजल विद्युत प्रदाय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाए हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

2& **m|fe;ksa@Lolgk;rk lewgksa@v'kkldh; laLFkkvksa dks lg;ksx**

gkFkdj?kk ,oa gLrf'kYi m|ksxksa ls lacaf/kr O;fDr;ksa] m|fe;ksa] Lolgk;rk lewgksa ,oa v'kkldh; laLFkkvksa bR;kfn dks uohu ,oa dksS'ky mUu;u izf'k{k.k] fMtkbu fodkl] mRikn ifjorZu@ifjo/kZu] foi.ku ,oa fu;kZr ls tqMh gqbZ xfrfof/k;ksa rFkk m|ksx ds mRFkku ds fy;s ;g ;kstuk ykxw dh xbZ gS A

3 dchj cqudj iq:Ldkj ;kstuk

mRd`"V gkFkdj?kk oL= mRiknu djus okys nks cqudjksa dks lfefr dh vuq'kalk fu.kZ; vuq:i izFke :i;s 1]00]000@& f}rh; :i;s 50]000@& iq:Ldkj] ,oa r`rh; iq:Ldkj jkf'k :- 25]000@& rFkk izrhd fpUg iznku djus dk izko/kku gSA

4- vuqla/kku ,oa fodkl ;kstuk

gkFkdj?kk {ks= esa uohu vuqla/kku@fodkl dk;Z uewuks dk fuekZ.k bR;kfn dk;ksZ ds fy, jkT; Lrjh; LVs;fjsax desVh ds vuqeksnu vuqlkj lgk;rk fuxe] la?k ,oa lfefr;ksa dks Lohd`r dh tkrh gS A ;g ;kstuk Hkh lapkyuky; Lrj ls lapkfyr dh tkrh gS A

5- lwpuk izks|ksfxdh laca/kh dk;Z

gkFkdj?kk lapkyuky; ,oa v/khuLFk ftyk gkFkdj?kk dk;kZy;ks dks lwpuk izks|ksfxdh laca/kh dk;kZs ds fy, ;kstuk ls lgk;rk miyC/k djkbZ tkrh gSA

6& Lis'ky izkstsDV

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के प्रमुख कलस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिये परियोजना आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, तथा संस्थानों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, डिपार्टमेंट आफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट आदि के सहयोग से परियोजनाएं कियान्वयन हेतु सहायता दी जाती है ।

7. प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

प्रदेश के ग्रामोद्योग उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यो के (हाथकरघा, हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग की परम्पराओं के) अभिलेखीकरण जिस पर डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर प्रिंटिग, परियोजना प्रतिवेदन, इलक्ट्रोनिक मीडिया का उपयोग

तथा बेस्ट प्रेक्टीसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जाती है। यह सहायता प्रोजेक्ट आधारित होती है । सहायता के अधिकतम सीमा तक राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कमेटी के विवेकाधीन होती है।

8. **<u>;qok cqudjksa dks laLFkkxr izf’k{k.k</u> %**

Hkkjr ljdkj }kjk lapkfyr VsDlVkbZy@gkFkdj?kk@gLrf'kYi@xzke ,oa dqVhj bR;kfn izf'k{k.k dsUnzksa@f'k{k.k laLFkkuksa esa izns'k ds cqudjksas@f'kYfi;ksa ds ;qokvksa dks izf'k{k.k Nk=o`fRr ,oa vU; izklafxd O;;ksa dh iwfrZ gsrq lgk;rk nh tkrh gSA Hkkjr ljdkj] oL= ea=ky; }kjk lapkfyr Hkkjrh; gkFkdj?kk izkS|ksfxd laLFkku tks/kiqj ds fy, izns'k gsrq 10 lhVksa dk vkj{k.k fd;k x;k gS] ftlesa izns'k ds gkFkdj?kk m|ksx dks mfpr rduhdh veyk miyC/k djkus dh n`f"V ls 3 o"khZ; fMIyksek ds gkFkdj?kk@gLrf'kYi@xzke ,oa dqVhj m|ksx ls tqMsa ;qok cqudjksa@f'kfYi;ksa@m|fe;ksa dks fofHkUu jkstxkj ewyd ikB~;dzeksa esa izf'kf{kr djus gsrq f'kfYih ifjokj ds 18 ls 45 o"kZ dh vk;q ds ;qod o ;qofr;ksa dks izf'kf{kr djus gsrq vkfFkZd lgk;rk iznku dh tkrh gSA

9- <u>gkFkdj?kk cqudjksa dks foRrh; iSdst %</u>

Hkkjr ljdkj] oL= ea=ky; }kjk izkFkfed gkFkdj?kk cqudj lgdkjh lfefr;ksa@Lo&lgk;rk lewgksa@O;fDrxr gkFkdj?kk cqudjksa ds fnukad 31&3&2010 dh fLFkfr ij cSadksa }kjk Lohd`r lk[k&lhek _.kksa ds fo:} vo:} _.k ,oa C;kt dh ekQh ds fy, foRrh; iSdst ;kstuk fnukad 26-11-2011 ls ykxww fd;k x;k gSA bl ;kstuk esa ik= ikbZ xbZ lfefr;ksa@bdkbZ;ksa dh vo:} lk[k&lhek _.k o C;kt ekQ fd;s tkus ds lkpkr lacaf/kr cSdksa }kjk iqu% dk;Z'khy iwath miyC/k djkdj lfefr;ksa@bdkbZ;kssa dks dk;Z'khy fd;s tkus dk izko/kku gSA

<u>uohu ;kstuk;sa</u> %&

10- राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम :–

विकास आयुक्त हाथकरघा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हाथकरघा विकास योजना को 12 वी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है । इस योजना में प्रमुख रूप से निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया हैः–

1. क्लस्टर विकास कार्यक्रम ।
2. हाथकरघा विपणन सहायता ।
3. हाथकरघा संस्थाअनों का विकास और सुदृढीकरण ।
4. हाथकरघा संगणना ।
5. नवोन्मेषी विचारों का कार्यान्वयन ।
6. योजना का प्रचार–प्रसार,विज्ञापन,मॉनीटरिंग,प्रशिक्षण और मूल्यांकन ।

उपरोक्त घटकों में से क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू की जावेगी जो एकीकृत हाथकरघा विकास कार्यक्रम योजना के स्थान पर लागू होगी । इस घटक के अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न घटकों को शामिल किया गया है :–

1. विपणन प्रोत्साहन सहायता ।
2. क्लस्टरों का सुदृढीकरण ।

11- **<u>eq[; ea=h C;kt vuqnku ;kstuk %</u>**

dqVhj ,oa xzkeks|ksx foHkkx ds v/khu dk;Zjr ?kVdksa ds vUrxZr gkFkdj?kk cqudjksa] f'kfYi;ksa] ekVhdyk] vU; m|fe;ksa ,oa js'ke d`"kdksa dks mRiknu ,oa foi.ku xfrfof/k;ksa ds fy, fofHkUu cSdksa ls fy, x;s iwWthxr _.k ,oa dk;Z'khy iwWth ¼lk[k lhek _.k½ ij 5 izfr'kr dh nj ls C;kt vuqnku lgk;rk iznku dh tkosxhA

रेशम संचालनालय
तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियॉ

(अ) राज्य योजनाएं

मांग संख्या – 56 –

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	योजना	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	203.23	203.21	352.00	352.00	316.00	315.79
2	रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं व अन्य निर्माण कार्य	291.40	290.61	574.63	574.60	793.28	750.09
3	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	10.00	10.00	20.00	19.99	20.00	19.88
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	113.60	113.60	405.00	405.00	609.74	609.74
5.	स्पेशल प्रोजेक्ट	1.00	1.00	1.00	-	1.00	–
6	उद्यमियों/स्व. सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	187.00	187.00	186.00	186.00	176.60	176.60
7	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	746.50	743.17	958.51	955.74	791.82	684.74
8	इरी रेशम विकास एवं विस्तार	53.77	53.77	32.40	32.40	28.45	28.45
9	रेशम उद्योग का विकास कार्य	718.27	713.09	622.17	618.77	1590.66	1448.80
10	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	35.00	35..00	25.00	25..00	50.00	50.00
11	रेशम मुख्यालय का रिनोवेशन	-	-	00.01	-	0.01	-
	योग	**2359.77**	**2350.45**	**5560.09**	**5543.05**	**4377.56**	**4084.09**

मांग संख्या – 74

1	मलबरी स्वावलंबन योजना	40.30	40.30	21.08	21.08	146.94	145.33

मांग संख्या – 41

1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	8.46	8.46	-	-	-	-
2	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	317.52	314.70	591.48	589.29	962.50	888.51
3	रेशम उद्योग का विकास कार्य	87.96	85.10	365.36	362.72	476.19	449.64
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	-	-	5.00	5.00	15.00	15.00
5	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	10.00	10.00	-	-	-	-
6	उद्यमियों/स्व सहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग	20.00	20.00	30.00	30.00	73.40	73.40
	योग	**443.94**	**438.26**	**999.07**	**994.24**	**1527.09**	**1439.05**

मांग संख्या–52

1	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	144.80	144.77	67.20	67.19	249.60	227.20

मांग संख्या – 64 (राशि रूपये लाख में)

क्र.	योजना	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	रेशम उद्योग का विकास कार्य	233.53	231.01	349.18	346.99	467.23	431.29
2	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	-	-	-	-	375.46	319.65
3	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	5.00	5.00	-	-	-	-
4	सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	30.00	30.00	-	-	-	-
5	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	77.73	77.73	-	-	-	-
6	रेशम उद्योग का विकास कार्य (पूंजी परिव्यय)	36.76	36.26	11.00	11.00	294.00	171.92
7	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	-	-	-	-	330.00	304.98
8	उद्यमियों/स्व सहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग	-	-	-	-	90.00	50.00
	योग	**383.02**	**380.00**	**360.18**	**357.99**	**1556.69**	**1277.84**

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

मांग संख्या – 56

1	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	605.31	605.27	935.84	933.16	2434.78	2432.89

मांग संख्या – 41

1	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	111.26	111.26	7.23	7.23	541.40	540.90

मांग संख्या – 64

1	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	8.97	8.97	-	-	13.95	13.95
	योग	**725.54**	**725.50**	**287.77**	**272.35**	**2990.13**	**2987.74**
	महायोग	**4097.37**	**4079.28**	**5560.09**	**5543.05**	**10848.01**	**10161.25**

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियॉं

अ. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

1. टसर कोया उत्पादन (लाख संख्या में)

क्रमांक	योजना	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
1	पालित	426.50	575.71	520.878
2	नैसर्गिक	437.11	338.24	411.765
	योग	863.61	913.95	932.643

2. लाभान्वित हितग्राही (संख्या)

क्रमांक	विवरण	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
1	अनुसूचित जाति	3319	2557	758
2	अनुसूचित जनजाति	13621	23743	6329
3	अन्य	6860	5234	24960
	योग	23800	31534	32047

ब. मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

क्रमांक	विवरण	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
1.	रेशम केन्द्रों का भोगाधिकार वितरित क्षेत्र (एकड में)	689	710	920
	लाभान्वित हितग्राही (संख्या)			
(1)	अनुसूचित जाति	313	315	215
(2)	अनुसूचित जनजाति	307	322	351
(3)	अन्य	466	470	450
	योग :	1086	1107	1016
2.	मलबरी कोया उत्पादन(किलो में)	847400	1055100	1094700
	लाभांवित हितग्राही (संख्या)			
(1)	अनुसूचित जाति	2404	1116	358
(2)	अनुसूचित जनजाति	6019	7801	1673
(3)	अन्य	4775	5370	13241
	योग :	13198	14287	15272

स. इरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम एवं विशेष सहायता योजना

क्रं.	योजना	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
1.	अरण्डी पौधरोपण क्षेत्र (एकड़ में)	350	350	250
2.	इरी शेल उत्पादन (कि.ग्रा. में)	2100	2056	1879
3.	लाभान्वित हितग्राही (संख्या)			
(1)	अनुसूचित जाति	–	–	–
(2)	अनुसूचित जनजाति	–	–	–
(3)	अन्य	264	278	251
	योग :	264	278	251

रेशम संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएं

1. प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेशम संचालनालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के तकनीकी एवं लेखा प्रशिक्षण देना व कृषकों/हितग्राहियों को रेशम गतिविधियों का प्रशिक्षण, सेमिनार, वर्कशाप/एक्सपोजर भ्रमण कराना है। इस योजना के अन्य प्रभार मद के अंतर्गत मलबरी बीज, ककून के उत्पादन कार्य एवं मलबरी बीज केन्द्रों का संधारण कार्य संपन्न कराया जाता है।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत रेशम संचालनालय के अधीन 2 मिनी आई.टी.आई. क्रमशः वारासिवनी (जिला बालाघाट) एवं सारंगपुर (जिला राजगढ) में संचालित है, जिनमें कृमिपालन, धागाकरण एवं वस्त्र बुनाई ट्रेड के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. मलबरी स्वावलंबन योजना

रेशम संचालनालय द्वारा पूर्व में नाभिकीय रेशम केन्द्रों के रूप में चलाये जा रहे रेशम केन्द्रों का भोगाधिकार हितग्राहियों को दिया गया है, ताकि उनमें स्वरोजगार की भावना जागृत हो। हितग्राहियों को केन्द्र पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है। पौधों का रखरखाव,उर्वरक क्रय हेतु राशि रूपये 6200/– प्रति हितग्राही,प्रति एकड़ चक्रीय राशि का प्रावधान है।

3. मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

मलबरी कोया उत्पादन :– प्रदेश के बुनकरों द्वारा बड़ी मात्रा में आयातित रेशम के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उच्च गुणवत्तायुक्त बाजारोन्मुखी कोया/रेशम धागे के उत्पादन पर जोर दिया गया है।

रेशम केन्द्रों में निर्माण कार्य, सिंचाई सुविधाएं कार्य कराये जाते हैं, साथ ही मलबरी पौधरोपण एवं मलबरी बीज ककून उत्पादन का कार्य कराया जाता है।

4. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

टसर कोया उत्पादन पालित :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोसा वस्त्र उत्पादन हेतु प्रदेश के बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित बीज केन्द्रों/पायलेट प्रोजेक्ट केन्द्रों/ग्रेनेजों द्वारा उत्पादित टसर रेशम कृमि के स्वस्थ डिम्ब समूह (निरोग अण्डे) प्रदाय किये जाते हैं, जिसके लिये बेसिक सीड केन्द्रीय रेशम बोर्ड के केन्द्रों से प्राप्त किया जाता है तथा कृमिपालन कर प्रगुणित किया जाता है। कृमिपालन, कृमिपालकों द्वारा खुले आकाश के नीचे वन क्षेत्रों मे उपलब्ध साजा/अर्जुन के पौधों पर होता है।

नैसर्गिक :– प्रदेश में साल/लेंडिया वनों से आच्छादित क्षेत्रों में नैसर्गिक रूप में टसर कोसा का उत्पादन होता है जहॉ ककून के उत्पादन स्तर को लगातार बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा प्रगुणन कैम्प लगाये जाते हैं। वनों में उत्पादित ककून को स्थानीय हितग्राही एकत्रित कर स्थानीय हाट–बाजार में विक्रय कर आय अर्जित करते हैं।

5. उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम

मलबरी :– मलबरी रेशम को निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु कृषकों की निजी भूमि में शहतूती पौधरोपण के लिये विस्तार कार्यक्रम लिया गया है। इसके अंतर्गत छोटे एवं मध्यम किसानों की निजी भूमि पर 0.5 एकड़ से 5.00 एकड़ तक भूमि पर मलबरी पौधरोपण कराया जाता है। उक्त पौधरोपण करने वाले कृषको को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जाती है जिसमें कृमिपालकों को प्रशिक्षण, प्रारंभिक कृमिपालन उपकरण, कृमिपालन भवन एवं सिंचाई सुविधा आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

टसर :– टसर क्षेत्र में कृमिपालन कर रहे हितग्राही को खाद्य पौधरोपण तथा चाकी उद्यान के उचित रख–रखाव तथा कृमिपालन उपकरण हेतु सहायता अनुदान प्रदान की जाती है।

इरी :– इरी रेशम विकास एवं विस्तार हेतु अरण्डी पौधरोपण, प्रशिक्षण, टूलकिट हेतु सहायता तथा इरी कृमिपालन हेतु भवन निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

6. इरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

प्रदेश में अरण्डी के पौधे पर आधारित इरी रेशम के माध्यम से रोजगार सृजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इरी रेशम के कीड़े को अरण्डी के पत्ते पर पाला जाकर रेशम उत्पादन कराया जाता है। अरण्डी का पौधा कम उपजाऊ भूमि पर लगाया जा सकता है तथा इसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अरण्डी के पौधे पर रेशम कीट पालन के साथ–साथ कृषक को अरण्डी के बीज तथा अरण्डी के पौधे की जड़ के विक्रय से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है क्योंकि अरण्डी के बीज से तेल उत्पादन तथा जड़ औषधि उत्पादन में काम आती है।

7. स्पेशल प्रोजेक्ट

मलबरी टसर एवं इरी ककून तथा रेशम उत्पादकों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्ति हेतु विशिष्ट परियोजनाएं तैयार करने एवं उनके कियान्वयन में हिस्सेदारी के लिये सहायता।

8. एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

प्रदेश के ऐसे जिलों में जहां कि रेशम उत्पादन हेतु सामाजिक/आर्थिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां पूर्णतः अनुकूल है किंतु प्रति व्यक्ति भू–जोत का आकार न्यूनतम होने के कारण छोटे एवं सीमांत कृषकों, परंपरागत कृषि से कम आय प्राप्त कर रहे ऐसे संकुलों में रेशम की ''मिट्टी से रेशम'' तक की गतिविधियों हेतु विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करते हुए संपूर्ण क्लस्टर का समग्र विकास किया जाना ।

9. उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

रेशम उद्योग से संबद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों/स्वसहायता समूहों, अशासकीय संस्थाओं को विकास, उत्पादन एवं विपणन से संबंधित गतिविधियों में सहयोग ।

10. प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

रेशम उद्योग प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी पर रोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस उद्योग में लगे हितग्राहियों को नियमित रोजगार मिले इस हेतु उनके उत्पादों की मांग बढ़े तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण की नितांत आवश्यकता है। अभिलेखीकरण इसलिये भी आवश्यक है कि यह न केवल विकास कार्यों को दर्शाता है बल्कि इस उद्योग के इतिहास को भी दर्शाता है। अभिलेखीकरण का उपयोग डायग्नोस्टिक स्टेडी एवं भावी योजनाएं तैयार करने में सहायक होगा।

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

तीन वर्षो की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियॉ

राज्य आयोजना (मांग संख्या–56) (राशि रूपये लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय (अनन्तिम)
1	स्थापना अनुदान आयोजना (प्लान)	257.89	257.89	316.77	316.77	420.00	385.25
2	अमला प्रशिक्षण	7.68	7.68	8.00	8.00	10.00	10.62
3	खादी उत्पादन पर रिबेट	18.00	18.00	22.00	22.00	40.00	25.28
4	कत्तिनों को सहायता	8.00	8.00	11.53	11.53	15.00	8.48
5	प्रचार–प्रसार	17.00	17.00	19.00	19.00	100.00	102.37
6	अधोसंरचना विकास	80.00	80.00	70.00	70.00	100.00	100.00
7	विपणन सहायता	25.00	25.00	76.35	76.35	85.00	85.00
8	कच्चा माल क्रय सहायता	55.00	55.00	250.36	250.36	280.00	280.00
9	परिवार मूलक इकाई स्थापना	275.25	275.25	299.85	299.85	98.00	93.10
10	एकीकृत कलस्टर विकास	30.00	30.00	30.00	30.00	50.00	50.00
11	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	10.00	10.00	10.00	10.00	13.00	10.09
12	उद्यमियों एवं स्व–सहायता समूहों को सहायता	11.67	11.67	11.70	11.70	8.00	8.00
13	अनुसंधान एवं विकास	30.00	30.00	30.00	30.00	50.00	50.00
14	विन्ध्यावैली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	स्पेशल प्रौजेक्ट	1.00	1.00	14.00	14.00	0.00	0.00
16	कारीगर प्रशिक्षण	24.40	24.40	26.67	26.67	31.90	31.90
17	सूचना प्रौद्योगिकी	0.01	0.00	15.00	15.00	25.00	17.16
18	मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	738.56
	योग	**850.90**	**850.89**	**1211.23**	**1211.23**	**2092.52**	**1995.81**
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	**1551.92**	**1550.63**	**2949.52**	**2242.35**	**2539.87**	**2454.00**

आदिवासी उपयोजना (मांग संख्या–41) (राशि लाख रू.में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	खादी उत्पादन पर रिबेट	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	कत्तिन सहायता	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	परिवार मूलक इकाई स्थापना	152.10	152.10	162.25	162.25	30.00	30.00
4	कारीगरों को प्रशिक्षण	18.42	18.42	17.59	17.59	17.47	17.47
5	विपणन सहायता	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	कच्चा माल सहायता	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	88.45	88.45
	योग	**308.90**	**308.90**	**179.84**	**179.84**	**135.92**	**135.92**

विशेष घटक योजना (मांग संख्या–64) (राशि लाख रू.में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	प्रचार–प्रसार	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	विपणन सहायता	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
3	कच्चा माल सहायता	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4	परिवार मूलक इकाई स्थापना	118.90	118.90	135.12	135.12	30.00	30.00
5	कारीगरों का प्रशिक्षण	22.70	22.70	22.22	16.22	22.79	22.79
6	कत्तिनों को सहायता	1.20	1.20	0.00	0.00	182.08	182.08
7	मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**258.12**	**258.12**	**157.34**	**151.34**	**234.87**	**234.87**

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
तीन वर्षो की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियॉ

राज्य आयोजना (मांग संख्या–56) (हितग्राहियों की संख्या)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
1	कच्चा माल क्रय सहायता	630	850	385
2	परिवार मूलक इकाई स्थापना	1248	1295	-
3	कत्तिनों को सहायता	425	1135	355
4	खादी उत्पादन पर रिबेट	545	380	-
5	अमला प्रशिक्षण	180	262	142
6	विपणन सहायता	250	560	-
7	कारीगर प्रशिक्षण	440	368	471
8	प्रचार प्रसार	170	160	73
9	मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना	-	-	2393
	योग	**3330**	**5010**	**3819**
खादी और ग्रामोद्योग आयोग योजना				
7	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	636	965	1090

आदिवासी उपयोजना (मांग संख्या–41) (हितग्राहियों की संख्या)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
1	कच्चा माल क्रय सहायता	150	-	-
2	परिवार मूलक इकाई स्थापना	612	643	-
3	कत्तिनों को सहायता	75	-	-
5	कारीगरों को प्रशिक्षण	341	295	250
6	प्रचार प्रसार	10	**-**	-
7	मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना	-	-	611
	योग	**980**	**938**	**861**

विशेष घटक योजना (मांग संख्या–64) (हितग्राहियों की संख्या)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
1	कच्चा माल क्रय सहायता	65	-	-
2	परिवार मूलक इकाई स्थापना	527	671	-
3	विपणन सहायता	394	-	-
4	प्रचार–प्रसार	10	-	-
5	कारीगरों को प्रशिक्षण	366	363	364
6	कत्तिन अनुदान	60	-	-
7	मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना	-	-	944
	योग	**1422**	**1034**	**1308**

संचालित योजनाएं

1. खादी उत्पादन पर रिबेट

- प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बुनकरों को खादी के उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत श्रमिकाई के अतिरिक्त, उत्पादन अनुदान ।
- योजना का लाभ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं के बुनकरों को भी देय ।

2. कत्तिन सहायता

- प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हाथ से कताई करने वाली कत्तिनों को खादी के उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत श्रमिकाई के अतिरिक्त, कत्तिन अनुदान ।
- योजना का लाभ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं की कत्तिनों को भी देय ।

3. कच्चा माल क्रय सहायता

- उत्पादन में निरंतरता बनी रहे एवं हितग्राहियों को नियमित रोजगार सुलभ कराने के दृष्टिकोण से कच्चा माल सहायता ।

4. प्रचार प्रसार

- खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास एवं संर्वधन के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रभावी प्रचार प्रसार ।
- क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आदि ।

5. बोर्ड अमले को तकनीकी प्रशिक्षण

- बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना का अधिकार, विपणन, लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर कार्य एवं क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण ।

6. ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण

- कारीगरों को उन्नत तकनीकी, गुणवत्ता सुधार एवं कौशल उन्नयन हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण ।

7. परिवार मूलक इकाई स्थापना

- ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता ।
- बैंक से स्वीकृत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 25,000/– का वित्तीय अनुदान ।

8. विपणन सहायता

- ग्रामोद्योगी इकाईयों को गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, एवं क्रय सामग्री का तत्काल भुगतान हेतु सहायता ।
- विभागीय विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विक्रय एवं मेले/प्रर्दशनियों में भाग लेकर ग्रामोद्योगी उत्पादों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन ।
- ग्रामोद्योगी इकाईयों को मेला प्रर्दशनियों में भाग लेने पर स्टाल एवं आने जाने की सुविधा।

9. अधोसंरचना विकास

- विभागीय उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था को शेड निर्माण, आधुनिक मशीनों आदि से सुदृढ़ करना, जिससे कत्तिनों, बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को निरंतर रोजगार के साथ–साथ उनकी कार्यक्षमता एवं आय में वृद्धि हो सके ।

10. एकीकृत कलस्टर विकास

- बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों पर कत्तिन एवं बुनकर कलस्टर के रूप में कार्य करते हैं । इस क्लर्स्टस् के अधोसंरचनात्मक विकास को सुनिश्चित करना ।

11. प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

- खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादनों की लोकप्रियता बढ़ाने, विकास कार्यों का अभिलेखिकरण, ब्रोशर प्रिंटिंग, बेस्ट प्रेक्टिसेस का अभिलेखिकरण, परियोजना प्रतिवेदन तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के उपयोग हेतु सहायता ।

12. उद्यमियों एवं स्व–सहायता समूहों को सहायता

- ग्रामोद्योग से संबद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व–सहायता समूह एवं अशासकीय संस्थाओं को नवीन तकनीक एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डियाजन विकास, उत्पाद परिवर्तन एवं विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों के विकास हेतु सहायता ।

13. स्पेशल प्रोजेक्ट

- खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में विकास के लिये विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन ।

14. अनुसंधान एवं विकास

- अनुसंधान एवं विकास योजनान्तर्गत उत्पादन केन्द्रों की गुणवत्ता सुधार अध्ययन एवं मूल्यांकन (इम्पेक्ट असेसमेंट) हेतु व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थानों से अध्ययन/ विश्लेषण कराना व उन्नयन करना ।

15. विन्ध्या वैली

- योजना का प्रमुख उद्देश्य विन्ध्या वैली ब्रांड को विकसित कर ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादको को बाजार उपलब्ध कराकर उसका उचित मूल्य दिलाना एवं उन्हें निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है ।
- योजनान्तर्गत ग्रामीण उत्पादों का मूल्य संर्वधन (वेल्यू ऐडिशन), कौशल उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, आकर्षक पैकेजिंग एवं मानकीकरण की सुविधा ।

16. सूचना प्रौद्योगिकी

- सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत बोर्ड की विकासात्मक गतिविधियों, बजट प्रावधान एवं लेखों को अद्यतन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना ।
- सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा जिला पंचायत कार्यालय, विभागीय केन्द्रों को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़कर उत्पादन विक्रय एवं रोजगार की जानकारी के साथ–साथ बजट के उपयोग पर भी नियंत्रण रखा जाना।
- डाटा बेस तैयार करने एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम संत रविदास

तीन वर्षो की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियां

(राशि रूपये लाख में)

क0	योजना	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14 मार्च 2013 तक	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	विकास सह संग्रहण केन्द्रों का संचालन	280.00	280.00	350.00	350.00	410.00	410.00
2	प्रदर्शनी एवं प्रचार–प्रसार	56.00	56.00	98.00**	98.00	80.00	80.00
3	हस्तशिल्पों की बिक्री पर अवहार	14.00	14.00	16.80	16.80	30.00	30.00
4	अनुसंधान का विकास	20.00	20.00	24.00	24.00	30.00	30.00
5	उद्यमियों/स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	35.00	27.40	40.00	39.88	50.00	49.76
6	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	300.00	299.02	360.00	360.00	350.00	350.00
7	शिल्पी/बुनकर कल्याण योजना	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	15.01
8	निगम मुख्यालय को मानिटरिंग हेतु अनुदान	135.00	135.00	165.00	165.00	200.00	200.00
9	निगम भवनों का संधारण	120.00	120.00	75.00	75.00	75.00	75.00
10	स्पेशल प्रोजेक्ट	37.00	37.00	45.00	45.00	40.00	39.55
11	प्रमोशन अभिलेखीकरण	55.00	55.00	66.00	66.00	60.00	60.00
12	अधोसंरचना विकास	55.00*	भवन संधारण मद में पुर्नविनियोजन	30.00**	30.00	25.00	-
13	राज्य स्तरीय पुरस्कार	4.00	4.00	5.00	-	6.00	-
14	सूचना प्रौद्यागिकी	40.00	40.00	40.00	40.00	13.98	13.98
15	कालीन पार्क	0.01	-	0.01	-	0.01	-
16	कौशल विकास	-	-	-	-	-	-
		1121.01	**1112.42**	**1344.81**	**1339.68**	**1400.00**	**1353.30**

*अधोसंरचना मद से भवन संधारण मद में रू.55.00 लाख का पुनर्वियोजन

**अधोसरंचना मद से 30.00 लाख का प्रदर्शनी –प्रचार मद में पुनर्वियोजन (2012–13)

तीन वर्षो की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धि

क्रं	योजना	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि मार्च 2013 तक
1	प्रदर्शनी एवं प्रचार–प्रसार (प्रदर्शनी)	21 प्रर्दशनी	36 प्रर्दशनी	35 प्रर्दशनी	58 प्रर्दशनी	40 प्रर्दशनी	56 प्रर्दशनी
2	हितग्राही	7000	9635	10000	10750	15000	20000
3	अनुसंधान एवं विकास	08	80	06 क्लस्टर	07 क्लस्टर	04 क्लस्टर	04 क्लस्टर
4	उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/ अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	07	50	08	39 समूह/इकाई	20	43 समूह/इकाई
5	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	2800	2800	2850	3515	4000	4215
6	शिल्पी/बुनकर कल्याण योजना	6000	6000	6000	9433	7200	1198
7	निगम भवनों का संधारण	01	-	06	03 भवन	10	-
8	स्पेशल प्रोजेक्ट	05	45	04	12 इकाई	6	13 इकाई
9	राज्य स्तरीय पुरस्कार	06	06	06	-	06	-
10	सूचना प्रौद्यागिकी	-	-	97	97	46	46
	योग–	**11340**	**9011**	**9012**	**13164**	**26292**	**25519**

राज्य स्तरीय योजनाऐं

1. एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना

   ग्रामोद्योग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टरों को सुदृढ़ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना, क्लस्टरों में वित्तीय समर्थन को बढ़ाने हेतु डायग्नोस्टिक स्टेडी करना, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट, डिजाइन, बाजार लिंकेज, सलाहकारों की सेवाऐं लेना, कमियों को चिन्हित करने हेतु अध्ययन, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्लस्टर में लघु एवं मध्यम उद्यमियों अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु सेमीनार वर्कशाप, अध्ययन भ्रमण आदि का आयोजन करना तथा अन्य हाथकरघा संबंधी गतिविधियों/आवश्यकताओं हेतु सहायता। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाऐं, अधोसंरचना, प्री–लूम, पोस्ट लूम सुविधाओं की स्थापना करना।

2. 'प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण योजना' प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग से संबंधित उत्पादों की लोकप्रियता बढाने तथा विकास कार्यो का अभिलेखीकरण जिसमें डिजाईन डिस्क्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर, प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग तथा वेस्ट प्रेक्टिसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जावेगी।

3. स्पेशल प्रोजेक्ट योजना हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी क्षेत्र के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्टीय संस्थाओं के साथ / प्रायवेट पार्टनरशिप अंतर्गत निजी इकाईयों, कंपनियों एवं व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन।

4 उद्यमियों / स्व. सहायता समूहों /अशासकीय संस्थाओं को सहयोग (संशोधित 2011) योजना का आच्छादन –हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम तथा खादी से संबंधित इकाईयों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व–सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाऐं इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास, उत्पाद परिवर्तन, विपणन एवं निर्यात से जुडी हुई गतिविधियों के उत्थान के लिये सहायता।

5. अनुसंधान एवं विकास योजना (संशोधित 2011)

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी से संबंधित इकाईयों को क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य संपादित करने हेतु अध्ययन एवं मूल्यांकन (इम्पेक्ट एसेसमेंट) हेतु नीतियों के क्रियान्यन का व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थाओं से अध्ययन/विश्लेषण कार्य कराए जाने हेतु सहायता दी जा सकती है।

6. विकास केन्द्रों का संचालन

शिल्पियों व बुनकरों को घोषित सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के लिए निगम द्वारा हस्तशिल्प व हाथकरघा क्लस्टर्स में 29 विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा हैं ।

7. प्रदर्शनी प्रचार प्रसार

प्रदेश के शिल्पों व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री के लिए निगम द्वारा देशभर में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। इन प्रदर्शनियों में शिल्पियों /बुनकरों का सीधा सम्पर्क ग्राहकों से होता है उन्हें ग्राहकों की पसन्द का ज्ञान होता है व डायरेक्ट मार्केट लिंकेज मिलता है ।

निगम द्वारा डायरेक्ट मार्केट लिंकेज वर्ष 2013–14 में 56 प्रदर्शनियां पूरे देश में आयोजित कर रूपये 13.54 करोड़ की बिक्री करवाई गई ।

8 हस्तशिल्प की बिक्री पर अवहार

राष्ट्रीय व धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर बिक्री पर अवहार दिया जाता है।

9. विपणन सहायता

शिल्पियों व बुनकरों के लिए सबसे प्रमुख समस्या विपणन की होती है। शिल्पियों के उत्पाद के विक्रय के लिए निगम द्वारा 22 एम्पोरियम संचालित किए जा रहे है, जिनमें से 10 प्रदेश के बाहर है। निगम द्वारा प्रति वर्ष देश भर में प्रर्दशनियों का आयोजन कर बिक्री की जाती है। निगम ने वर्ष 2012–13 में रूपये 2401.54 लाख के शिल्पों व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री एम्पोरियमों के माध्यम से की गई । वर्ष 13–14 में रूपये 27.30 करोड़ की बिक्री एम्पोरियम द्वारा की गई ।निगम द्वारा ग्वालियर व भोपाल में स्थाई हाट की स्थापना की गई थी । इस वर्ष इन्दौर में भी हाट प्रारंभ कर दी गई है । यहां शिल्पियों को रोटेशन से अपने उत्पाद बिक्री करने का अवसर दिया जाता है।

10 विश्वकर्मा पुरस्कार

शिल्पियों द्वारा जीविकार्जन के लिए व्यवसायिक उत्पादन कराने के कारण शिल्प की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। शिल्पियों को कलात्मक उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु चयनित शिल्पियों को विश्वकर्मा पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। प्रथम पुरस्कार रूपये 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार 50,000/– व तृतीय पुरस्कार रूपये 25,000/– है। इसके अतिरिक्त लुप्तप्राय शिल्पों में कलात्मक सृजन के लिए 10,000/– के अधिकतम 3 पुरस्कारों की व्यवस्था है।

मध्य प्रदेश माटीकला बोर्ड

तीन वर्षो की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियां

(राशि लाख रूपये)

क्र	योजना का नाम	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14	
1	मांग संख्या 56	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
अ	श्री यादें माटीकला योजना	264.00	231.51	289.00	289.00	310.00	296.19
ब	माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण योजना	30.50	5.50	6.00	6.00	6.39	6.39
स	माटीकला प्रचार प्रसार योजना	5.50	1.10	5.00	5.00	5.00	0.83
	महायोग	**300.00**	**238.11**	**300.00**	**300.00**	**321.40**	**303.41**

तीन वर्षो की तुलनात्मक भैतिक उपलब्धियां

(इकाई संख्या)

क्र	योजना का नाम	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14	
1	मांग संख्या 56	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	श्री यादें माटीकला योजना	1056	912	1156	710	620	725
ब	माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण योजना	240	54	40	141	35	75
स	माटीकला प्रचार प्रसार योजना	55	20	15	15	18	10
	महायोग	**1351**	**986**	**1211**	**866**	**673**	**810**

1 श्री यादे माटीकला योजना

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में निवासरत हितग्राहियों को मिट्टी के उत्पादों को तैयार कर बिक्री करने हेतु बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदाय कराई जाती है। जिसमें बैंक से स्वीकृत इकाई लागत की 50% राशि अधिकतम रूपये 50,000/– तक शासकीय अनुदान बैंक के माध्यम से दिलाया जावेगा।

2 उद्यमियो को प्रशिक्षण

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में निवासरत बीपीएल/नानबीपीएल हितग्राहियों को मिट्टी की आकर्षक, बाजार में बिक्री योग्य एवं टिकाऊ उत्पादों को तैयार करने हेतु कुशल शिल्पियों/डिजाइनर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय कराया जावेगा एवं 75 प्रतिशत अनुदान पर विद्युत चलित शैला चाक भी उपलब्ध कराया जाता है।

3 प्रचार प्रसार योजना

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में निवासरत हितग्राहियों को मिट्टी के उत्पादों को तैयार कर बिक्री करने हेतु प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता की जानकारी सुलभ कराने हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री पम्पलेट, फोल्डर एवं समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन कराया जाता है। प्रदेश के प्रजापत समाज के श्रेष्ठ तीन शिल्पियों को प्रतिवर्ष पुरूस्कृत किया जायेगा। साथ ही माटीकला के शिल्पियों को प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश के बाहर लगने वाले हाट बाजार, मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु सहायता प्रदान की जावेगी।

भाग–4
अभिनव योजना

1 भारत सरकार द्वारा हाथकरघा बुनकरो, हाथकरधा बुनकर सहकारी समितियों के अवरूद्व साख सीमा ऋण को माफ करने हेतु लागू पुर्नउद्वार, पुर्नगठन एवं सुधार योजना के तहत हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों एवं व्यक्तिगत बुनकरों के साख सीमा ऋण राषि माफ की गई है। जिससे बुनकर सहकारी समितियां पुनः बैक से कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सदस्य, बुनकरों को रोजगार देने हेतु समर्थ हो सके।

2 भारत सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेष में संचालित 03 विभागीय प्रषिक्षण केन्द्र चन्देरी, महेष्वर एवं इन्दौंर को वी.टी.पी. के तहत पंजीकृत कराया गया है। जिससे प्रषिक्षित हितग्राहियों के प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

3 हाथकरधा क्लस्टरों में बुनकरो को सौर उर्जा आधारित होम लाईट उपलब्ध कराई गई इसमें उनके कार्य समय में वृद्वि होकर आय में वृद्वि होगी।

रेशम संचालनालय

1 बुरहानपुर को मलबरी क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। विगत वर्ष में बुरहानपुर जिले में कृषको को प्रेरित किया गया एवं परिणाम स्वरूप प्रथम वर्ष 2012–13 में ही एक हजार कृषको द्वारा मलबरी रोपण किया गया। वर्ष 2013–14 में 500 से अधिक किसानों द्वारा रोपण किया गया। किसानों को परंपरागत फसलों की तुलना में कहीं अधिक आय हो रही है। बुरहानपुर के किसानों की सफलता से बडवानी एवं खरगौन के कई कृषकों द्वारा रेशम खेती में अपनी रूचि दर्शाई। दिनांक 8 फरवरी 2014 को बडवानी में खरगौन एवं बडवानी के कृषकों का सम्मेलन आयोजित किया गया।

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

<u>प्रोजेक्ट विन्ध्यावैली</u> – स्व–सहायता समूह द्वारा उत्पादित उपभोक्ता उत्पादों का ''विन्ध्यावैली ब्राण्ड'' के अंतर्गत खुले बाजार में विक्रय करना है । विन्ध्यावैली ब्राण्ड के अन्तर्गत मुख्यतः कृषि एंव वनाधारित उत्पादों को लिया गया है। यह परियोजना स्व–सहायता समूहो के आर्थिक सशक्तिकरण एंव ग्रामीण क्षेत्र में जीविकोपार्जन के सतत् अवसर उपलब्ध कराने का अभिनव प्रयास है।

<u>सौर ऊर्जा का उपयोग</u> – खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में बोर्ड द्वारा संचालित विभागीय सूती, ऊनी, रेशमी एवं पोलीवस्त्र उत्पादन केन्द्रों पर लगभग 450 कत्तिन/बुनकरों/अन्य कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । बिजली की निरन्तर प्रदाय के कारण उत्पादन एंव रोजगार प्रभावित होता है। अतः कम्बल केन्द्रो में सौर उर्जा आधारित पावर प्लेट की स्थापना की जा रही है।

चर्मशिल्प पंचायत का आयोजनः– दिनांक 24/4/2013 को माननीय मंख्यमंत्री जी के निवास पर प्रदेश के चर्मशिल्पियों की पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के लगभग 2346 चर्मशिल्पियों द्वारा भाग लिया गया। प्रदेश भर से आये शिल्पियों/कारीगरो द्वारा उनकी समस्याओ के हल एंव शासन की योजनाओ के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए। तद्नुसार योजनाओं मे आवश्यक संशोधन व फेरबदल किये गये है।

महात्मा गांधी ग्रामीण,औद्योगिक प्रशिक्षण संथान वर्धा (महाराष्ट) में 120 हितग्राहियो की बेलमेटल, वस्त्र छपाई लोहशिल्प एंव खराद शिल्प का उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया गया। देवास एंव ग्वालियर के 60 परम्परागत चर्मशिल्पियों केन्द्रीय लेदर इंस्टीटयूट आगरा से उन्नत प्रशिक्षण दिलाया । अलिराजपुर लुप्तप्रायशिल्प पिथारो पेंटिग के प्रयास एवं प्रदेश के शिल्प पर आधारित "छाप" पुस्तक का प्रकाशन।

इस्माईल सुलेमान खत्री बाग प्रिन्ट के जनक को लाईफ टाईम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

भाग 5

महिला नीति

हाथकरघा संचालनालय

हाथकरघा एवं कुटीर उद्योग का कार्यक्षेत्र व्यक्ति विशेष न होकर पारिवारिक गतिविधि के रूप में संचालित होता है। वित्त विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले जेंडर बजट में ग्रामोद्योग विभाग को सम्मिलित किया गया है। विभाग के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान का न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के लिए उपयोग किया जाता है। स्व सहायता समूहों के गठन, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता आदि में महिला हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेशम संचालनालय

रेशम संचालनालय के अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत शहतूती पौधरोपित भूमि एक एकड़ अथवा आधा एकड़ का भोगाधिकार दिया गया है जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के बचत समूह गठित किये गये हैं। मिनी आई.टी.आई. के माध्यम से वर्ष 2013–14 में 40 महिलाओं को बुनाई एवं धागाकरण का प्रशिक्षण दिया गया है। टसर क्षेत्र में कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा धागा कताई, परिवार मूलक योजनांतर्गत इकाई स्थापना में महिला हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तथा विन्ध्यावैली के तहत महिला हितग्राहियों के समूहों के उत्पादों के विपणन में सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

म0प्र0 हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

महिला नीति के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में 1197 महिलाओं को एकीकृत कलस्टर योजना अंतर्गत लाभांवित किया गया।

भाग – छः
सारांश

हाथकरघा संचालनालय

प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर हाथकरधा वस्त्र बुनाईकला के संरक्षण एंव विकास हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत उपकरणो का प्रदाय,क्लस्टरो में अधोसंरचना विकास,डिजाइन डवलपमेंट एंव उत्पाद विकास पर जोर दिया गया। उत्पादों के विपणन मे सहायता हेतु भण्डार क्रय नियमों के तहत शासकीय प्रदाय के अलावा देश एंव प्रदेश मे मेला एक्सपो एंव प्रदर्शनियो का आयोजन अथवा उनमें भागीदारी सुनिश्चित की गयी।

हाथकरधा बुनकरो को सामाजिक सुरक्षा एंव बेहतर सुविधाएँ ,स्वास्थ्य बीमा योजना एंव महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का संचालन किया गया जिसमे 15030 एंव 480 बुनकरो को बीमित किया गया।

रेशम संचालनालय

प्रदेश मे निजी भूमि पर रेशम उत्पाद हेतु कृषको को आवश्यक प्रशिक्षण,तकनीक, उपकरण, अधोसंरचना निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में उपलब्ध आपार वन सम्पदा में टसर खाद्य पौधे की चिन्हित कर टसर रेशम उत्पाद के माध्यम से गरीब तबके के हितग्राहियो विशेषकर आदिवासी हितग्राहियो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है।

प्रदेश मे उत्पादित मलबरी एंव टसर रेशम कोया का मूल्य संवर्धन धागाकरण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है,ताकि प्रदेश में हितग्राहियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

- म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में खादी उत्पादन जिसमें सिल्क, ऊनी तथा सूती खादी सम्मिलित है के अंन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में निवासरत् इन गतिविधियों से जुड़े अधिक से अधिक कत्तिन व बुनकरों को लाभान्वित किए जाने का सतत् प्रयास किया जाता है।
- म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विन्ध्या वैली प्रोजेक्ट अंतर्गत बिक्री के समस्त सार्थक प्रयास करते हुए अधिक से अधिक बिक्री के प्रयास किये जा रहे है जिससे उनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ इस प्रोजेक्ट से जुड़े स्व–सहायता समूहों के सदस्यों, अधिकांश महिलाओं को प्राप्त होता है।

हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

निगम द्वारा परम्परागत शिल्पी व बुनकर परिवारों के युवाओं को परम्परागत आजीविका में ही बनाए रखने के लिये उचित वातावरण बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर में बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। एम्पोरियमों की बिक्री बढ़ाने के लिये एम्पोरियमों की साज–सज्जा परिवर्तित की जा रही है, व नई प्रोडक्ट रेंज विकसित की गई है। डिज़ाइनर आइटम्स का उत्पादन एसोसिएट शिल्पियों व बुनकरों से करवाया जा रहा है जिससे उनकी आमदनी बढ़ कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्वि हो। बुनकरो को विपणन सहायता के तहत देश भर मे लगभग 5 प्रदर्शनियां आयोजित की गई।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

प्रदेश के परम्परागत माटी शिल्पियों को वित्तीय संसाधन, उन्नत प्रशिक्षण एवं उपकरण उपलब्ध कराने संबंधी योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके ।